भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2263

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 (29 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

महिलाओं और नाबालिक लड़कियों के विरुद्ध अपराध

2263. श्री रामशिरोमणी वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में सामने आए बलात्कार/सामूहिक बलात्कार, एसिड अटैक, हत्या, उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों की राज्य/संघक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे पीड़ितों की सहायता के लिए देश में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित किया है या स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उक्त केंद्रों में ऐसे पीड़ितों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2021 तक की प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान भारतीय दंड संहिता और विशेष स्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के **दर्ज** मामलों (सीआर) की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	2018	2019	2020	2021
दर्ज मामले	378236	405326	371503	428278

वर्ष 2018-2021 के दौरान बलात्कार (आईपीसी की धारा 376), महिलाओं की मर्यादा का अपमान करने के लिए उन पर हमला (आईपीसी की धारा 354) तथा महिलाओं की मर्यादा का अपमान (आईपीसी की धारा 509) के तहत दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। एसिड अटैक (आईपीसी की धारा 326क), सामूहिक बलात्कार (आईपीसी की धारा 376घ) और बालिकाओं सहित महिलाओं की हत्या के तहत वर्ष 2018-2021 के दौरान दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) से (ड) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में 730 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। ये केंद्र हिंसा से प्रभावित और विपत्ति में पड़ी महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और मदद प्रदान करना और जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श सहित अनेक एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं, जो नीचे दी गई हैं:

i. यौन अपराधों के प्रभावकारी निवारण के लिए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार के मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी किए जाने तथा आरोप पत्र दायर करने और विचारण (ट्रायल) को भी 2 महीनों के अंदर पूरा करने का अधिदेश दिया गया है।

ii. आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली में सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) पर आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को विपत्ति के स्थान पर पहुंचाया जाता है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को नागरिकों हेतु एक "साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल" शुरू किया है।

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसे ट्रैक करने के कार्य को सुगम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2019 को पुलिस हेतु "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल लांच किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण की इकाइयों को सशक्त बनाने हेतु कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में डीएनए विश्लेषण की एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने अंतराल विश्लेषण और मांग मूल्यांकन के बाद राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उन्नयन को भी मंजूरी दे दी है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता सृजन को सुगम बनाने के लिए, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने प्रशिक्षण के भाग के तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ओरिएंटेशन किट के रूप में यौन हमला साक्ष्य संग्रहण की 14,950 किटें वितरित की हैं।

ix. गृह मंत्रालय ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों और देश के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी यूनिटों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए दो परियोजनाएं भी मंजूर की हैं।

x. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करने के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

****

वर्ष 2018-2021 के दौरान बलात्कार (आईपीसी की धारा 376), महिलाओं पर हमला (आईपीसी की धारा 354) और बालिकाओं सहित महिलाओं की मर्यादा के अपमान (आईपीसी की धारा 509) के तहत दर्ज मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018			2019			2020			2021		
		बलात्कार	महिलाओं पर हमला	मर्यादा का अपमान	बलात्कार	महिलाओं पर हमला	मर्यादा का अपमान	बलात्कार	महिलाओं पर हमला	मर्यादा का अपमान	बलात्कार	महिलाओं पर हमला	मर्यादा का अपमान
1.	आंध्र प्रदेश	971	4445	1802	1086	4444	1892	1095	4886	2342	1188	5108	2370
2.	अरुणाचल प्रदेश	67	103	12	63	80	6	60	73	3	83	74	10
3.	असम	1648	4180	171	1773	4619	385	1657	4642	90	1733	4499	184
4.	बिहार	651	262	30	730	312	11	806	584	6	786	387	1
5.	छत्तीसगढ़	2091	1854	184	1036	1316	232	1210	1461	279	1093	1248	238
6.	गोवा	61	125	26	72	119	37	60	67	35	72	74	20
7.	गुजरात	553	1208	12	528	1048	16	486	846	17	589	660	7
8.	हरियाणा	1296	2671	192	1480	2581	173	1373	2339	183	1716	2882	290
9.	हिमाचल प्रदेश	344	513	78	359	498	72	331	538	88	358	487	94
10.	झारखंड	1090	1378	37	1416	1646	7	1321	1358	6	1425	1335	6
11.	कर्नाटक	492	5204	138	505	4937	107	504	4751	70	555	5105	71
12.	केरल	1945	4544	461	2023	4507	435	637	3890	442	771	4059	504
13.	मध्य प्रदेश	5433	8790	270	2485	5585	174	2339	5378	200	2947	5760	250
14.	महाराष्ट्र	2142	10835	1074	2299	10472	1074	2061	9965	969	2468	10568	1038
15.	मणिपुर	52	56	8	36	59	7	32	61	8	26	92	16
16.	मेघालय	87	95	16	102	96	18	67	86	16	75	92	24
17.	मिजोरम	50	67	1	42	35	0	33	26	3	26	31	0
18.	नागालैंड	10	10	5	8	8	1	4	7	2	4	11	1
19.	ओडिशा	918	9973	506	1382	11308	536	1211	12605	615	1456	14853	838
20.	पंजाब	831	956	19	1002	944	35	502	731	28	464	678	39
21.	राजस्थान	4335	5249	30	5997	8802	69	5310	8661	85	6337	9079	73
22.	सिक्किम	16	23	5	11	21	2	12	18	0	8	17	0
23.	तमिलनाडु	331	814	14	362	803	7	389	892	31	422	1077	32
24.	तेलंगाना	606	4567	878	873	4190	695	764	4907	565	823	4365	775
25.	त्रिपुरा	97	165	6	88	153	5	79	115	3	61	94	1
26.	उत्तर प्रदेश	3946	12555	17	3065	11988	42	2769	9864	28	2845	9393	27
27.	उत्तराखंड	561	548	8	526	475	10	487	474	43	534	655	13
28.	पश्चिम बंगाल	1069	3399	391	1068	3291	389	1128	2488	446	1123	2485	424
	कुल (राज्य)	**31693**	**84589**	**6395**	**30417**	**84337**	**6437**	**26727**	**81713**	**6603**	**30016**	**85168**	**7346**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30	35	4	13	25	3	2	15	3	15	32	4
30.	चंडीगढ़	86	100	3	112	66	15	60	42	4	74	37	6
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	10	11	3	4	8	3	7	6	3	5	7	0
32.	दिल्ली	1215	2705	552	1253	2355	456	997	1840	416	1250	2068	417
33.	जम्मू और कश्मीर *	320	1597	25	223	1440	15	243	1744	35	315	1851	10
34.	लद्दाख	-		"	-	-	-	2	4	0	2	5	1
35.	लक्षद्वीप	2	0	1	0	5	8	3	3	1	0	1	1
36.	पुदुचेरी	0	60	9	10	23	0	8	25	0	2	31	3
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1663	4508	597	1615	3922	500	1319	3679	462	1661	4032	442
	कुल (अखिल भारत)	**33356**	**89097**	**6992**	**32032**	**88259**	**6937**	**28046**	**85392**	**7065**	**31677**	**89200**	**7788**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2018 और 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

लोक सभा अता. प्र. सं. 2263 दिनांक 20.12.2022

अनुलग्नक-II

वर्ष 2018-2021 के दौरान एसिड अटैक (आईपीसी की धारा 326क), सामूहिक बलात्कार (आईपीसी की धारा 376घ) और बालिकाओं सहित महिलाओं की हत्या के तहत दर्ज मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018			2019			2020			2021		
		एसिड अटैक	सामूहिक बलात्कार	हत्या	एसिड अटैक	सामूहिक बलात्कार	हत्या	एसिड अटैक	सामूहिक बलात्कार	हत्या	एसिड अटैक	सामूहिक बलात्कार	हत्या
1.	आंध्र प्रदेश	3	12	344	3	9	355	4	17	307	2	13	329
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	12	0	4	18	0	0	13	0	1	14
3.	असम	3	20	304	6	25	282	4	19	190	7	57	259
4.	बिहार	6	8	562	7	14	629	1	6	602	1	1	655
5.	छत्तीसगढ़	0	38	341	0	15	358	1	16	353	0	33	383
6.	गोवा	0	3	8	0	2	8	0	0	9	0	1	11
7.	गुजरात	7	7	299	5	14	263	4	18	260	6	17	260
8.	हरियाणा	0	155	227	4	159	247	1	163	241	6	171	266
9.	हिमाचल प्रदेश	0	7	30	1	4	24	0	4	32	0	3	28
10.	झारखंड	0	50	553	0	52	406	1	54	345	0	55	383
11.	कर्नाटक	2	8	464	5	7	455	5	8	452	1	12	435
12.	केरल	4	13	97	2	7	119	4	12	82	1	13	125
13.	मध्य प्रदेश	5	198	588	8	162	580	5	155	664	5	145	626
14.	महाराष्ट्र	5	90	647	6	63	653	4	58	564	3	68	634
15.	मणिपुर	0	0	8	0	0	14	0	1	9	0	0	6
16.	मेघालय	0	0	9	0	5	10	2	5	9	0	2	14
17.	मिजोरम	0	0	10	0	1	4	0	1	9	0	2	9
18.	नागालैंड	0	0	15	0	0	11	0	0	11	0	0	8
19.	ओडिशा	5	14	625	3	22	634	6	15	598	3	7	604
20.	पंजाब	4	21	195	5	29	204	2	35	181	3	21	175
21.	राजस्थान	1	556	313	2	902	361	2	941	334	3	1153	376
22.	सिक्किम	0	1	4	0	1	3	0	0	4	0	0	4
23.	तमिलनाडु	2	7	467	4	1	503	0	2	433	1	4	452
24.	तेलंगाना	10	21	226	0	14	270	3	10	26l	1	18	264
25.	त्रिपुरा	0	2	53	1	6	56	2	2	56	0	1	48
26.	उत्तर प्रदेश	32	492	1232	42	301	1042	21	271	947	18	229	1012
27.	उत्तराखंड	1	1	50	2	9	58	1	0	31	2	0	52
28.	पश्चिम बंगाल	36	55	895	36	86	929	29	73	907	30	107	812
	कुल (राज्य)	**126**	**1780**	**8378**	**142**	**1914**	8496	**102**	**1886**	**7884**	**93**	**2134**	**8244**
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	9	0	0	9	0	0	1	0	0	7
30.	चंडीगढ़	0	2	3	0	1	9	1	1	8	0	2	6
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	0	0	1	0	0	6	0	0	1	0	0	4
32.	दिल्ली	5	44	117	8	47	135	2	46	81	8	64	110
33.	जम्मू और कश्मीर *	0	0	29	0	0	20	0	0	27	1	0	27
34.	लद्दाख			-			-	0	0	0	0	0	1
35.	लक्षद्वीप	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**5**	**46**	**160**	**8**	**48**	**179**	**3**	**47**	**118**	**9**	**66**	**161**
	कुल (अखिल भारत)	**131**	**1826**	**8538**	**150**	**1962**	**8675**	**105**	**1933**	**8002**	**102**	**2200**	**8405**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2018 और 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

****